रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 1972/ज्येष्ठ 4, 1894
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 1972/JYAISTHA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 24th May, 1972*

**G.S.R. 288(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Tripura, hereby entrusts, the functions of the Central Government under the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) [except the function exercisable by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 55 of that Act], in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in the State of Tripura, subject to the following conditions, namely:—

(a) that in the exercise of such functions, the Government of Tripura shall comply with such general or special directions as the Central Government may, from time to time, issue; and

(b) that notwithstanding the entrustment, the Central Government may itself exercise any of the said functions should it deem fit to do so in any case.

[No. F. 3-10/72-Lands.]
B. B. VOHRA, Jt. Secy.

## कृषि मंत्रालय

## (कृषि विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1972

सा० का० नि० 288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा सरकार की सम्मति से, एतद्द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन भूमि अर्जन के सम्बन्ध में [उस अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य के सिवाय] केन्द्रीय सरकार के कृत्य, संघ के प्रयोजन के लिए त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सौंपते हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसे कृत्यों के निर्वहन में त्रिपुरा सरकार ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगी जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे; तथा

(ख) कृत्यों के सौंपे जाने पर भी यदि केन्द्रीय सरकार किसी मामले में ऐसा करना ठीक समझे तो उक्त कृत्यों में से किसी का निर्वहन स्वयं कर सकेगी।

[सं० एफ० 3-10/72—लैण्डस]

बी० बी० बोहरा, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972